0300784287

KOTRY

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रू0 10,37,874/-
बाजारू मूल्य	: रू0 5,61,000/-
स्टाम्प शुल्क	: रू0 1,03,800/-
ग्राम	: [illegible]

यह विक्रय विलेख रामप्रकाश, मोहनलाल, [illegible] व रामा [illegible] पुत्रगण स्व0 छोटेलाल व श्री [illegible] पत्नी स्व0 छोटेलाल [illegible] पुत्र

[illegible]

[illegible]

10,37,074/-

5000 × 30 = [illegible]

[illegible]

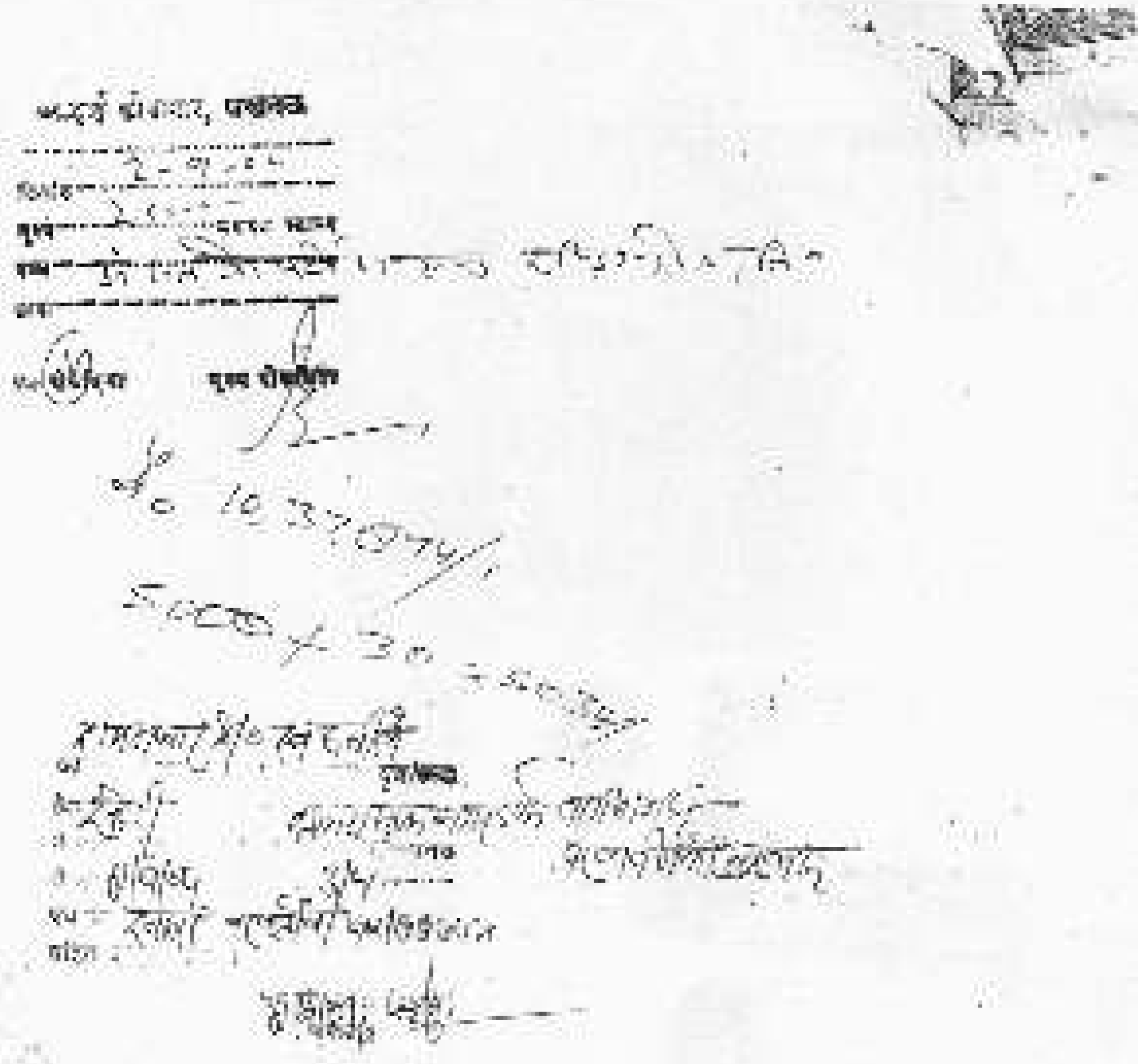

25000 25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 784228

L K O / [illegible] द्वारा [illegible] निवासीगण– ग्राम यूसुफ नगर उर्फ [illegible], परगना-बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवं अन्सल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रजिस्टर्ड आफीस [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता– तृतीय तल, [illegible] बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ द्वारा [illegible], श्री [illegible] पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह [illegible] एवं स्थायी पता– तृतीय तल, [illegible] बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

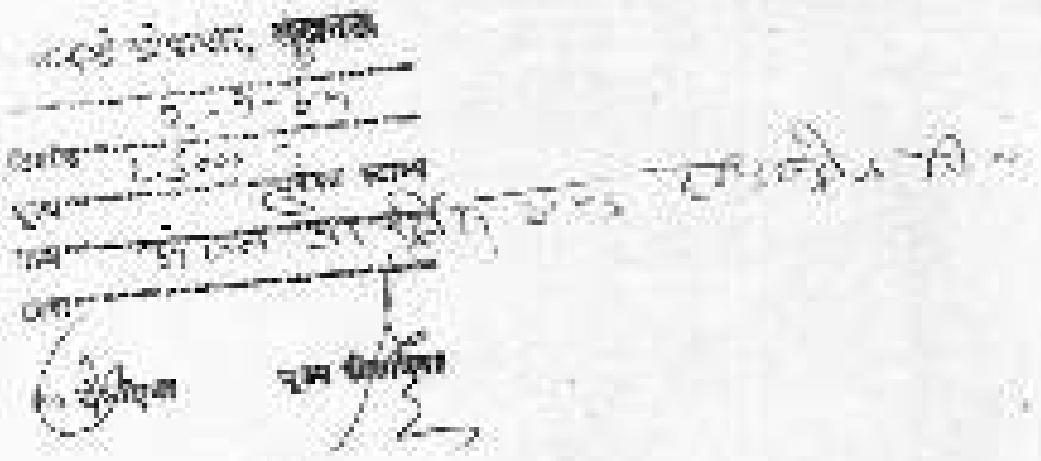

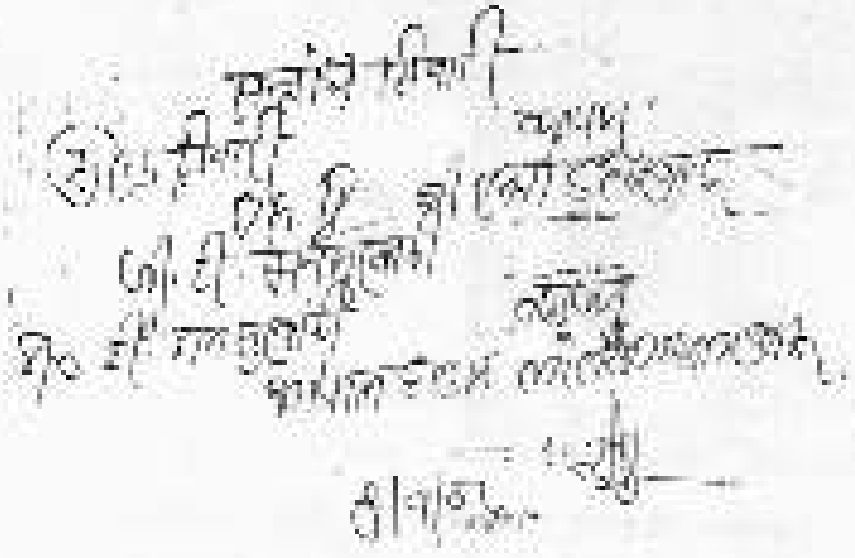

25000 25000

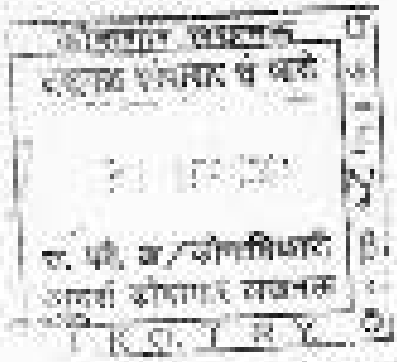

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 754229

-2-

3) यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा नं० 83 रकबा 0.553 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुड़िया नगर उर्फ कथियामऊ, परगना -बिजनौर तहसील व जिला, लखनऊ के मालिक, काबिज व दाखिल हैं तथा उपरोक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। सत्यापित खतौनी के सत्य प्रतिलिपि के अनुसार पूर्व में उक्त भूमि छबीले पुत्र मैकू निवासी- ग्राम मुड़िया नगर उर्फ कथियामऊ, परगना -बिजनौर तहसील व जिला, लखनऊ के नाम दर्ज थी परन्तु वर्तमान में रामअवतार, मईलाल, बाबादीन व राम पुत्रगण स्व० छबीले व मु०

25000 25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

कोषागार लखनऊ

स्टाम्प ट्रेजरी से क्रय

उ. प्रो. क./कोषाधिकारी

कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ

K Q T B Y

0330 784230

-4-

सुमेरा पेशा खेती व नन्कऊ पुत्र छत्रपाल व मु० फूलझारा विधवा छत्रपाल निवासीगण- ग्राम युसुफ नगर उर्फ भरोवाकक, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। आदेश दिनांक 03.02.2003 क्रमांक 20 के अनुसार मु० फूलझारा की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर नन्कऊ पुत्र छत्रपाल का नाम बतौर वारिस राजस्व अभिलेखों में अंकित है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि

1000Rs.

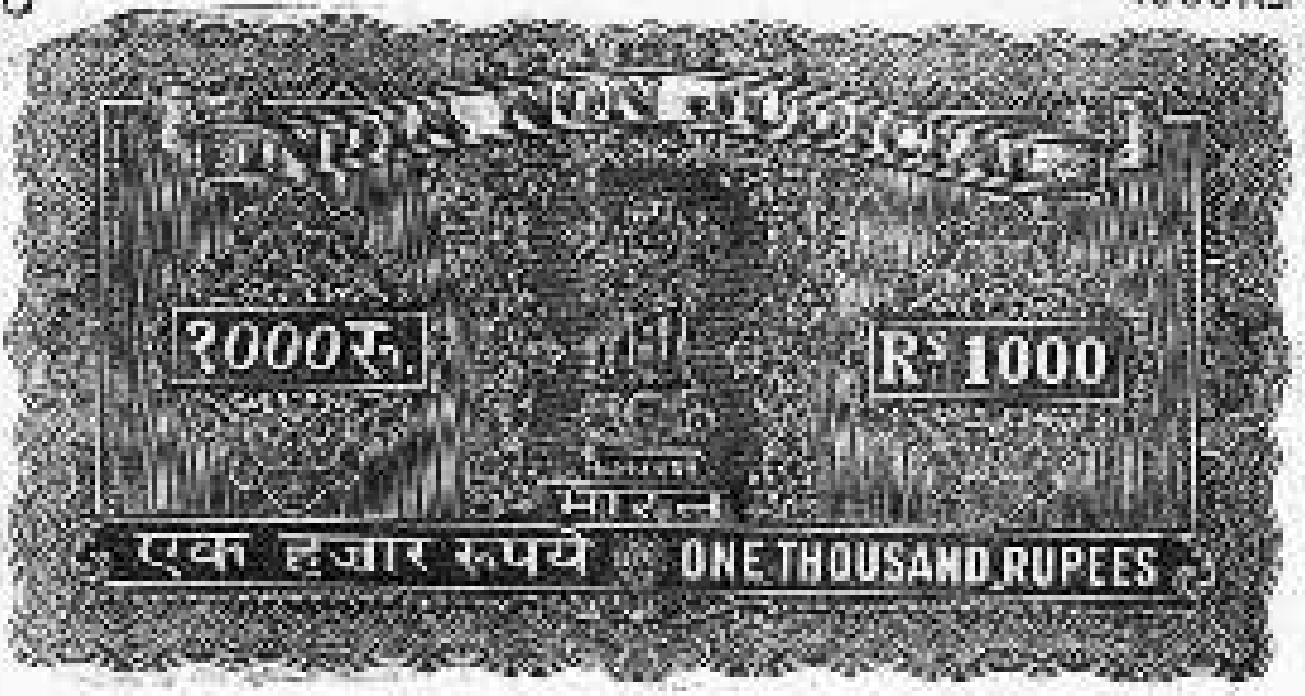

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते हैं, कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, रेहन, गिरवीं या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति

1000Rs.

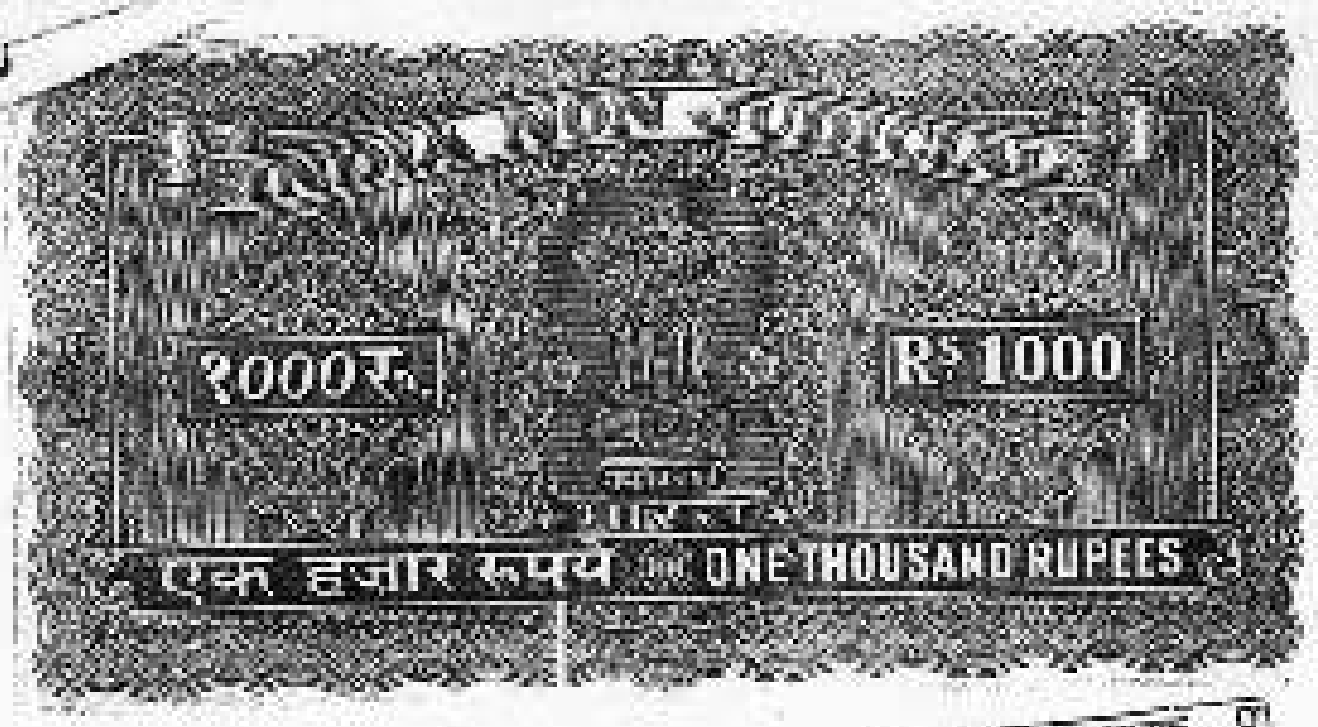

१000रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

के फलस्वरूप रू0 10,30,874/- (दस लाख तीस हजार आठ सौ चौहत्तर रूपये) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते है, तदानुसार अतः विक्रेतागण उक्त क्रेता के पक्ष उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को भलाई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को असली बना दिया गया है। अब उक्त

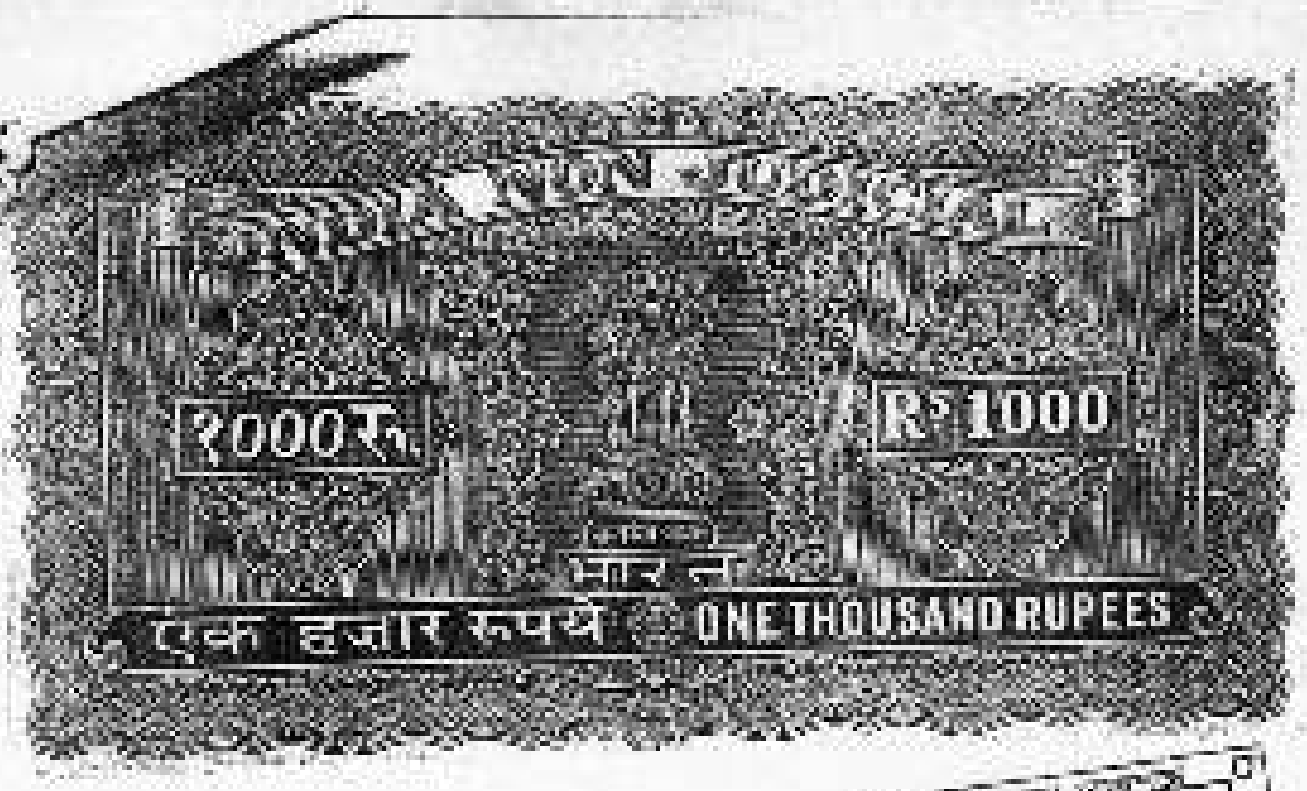

भारत

१000 रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व सदा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या

500Rs

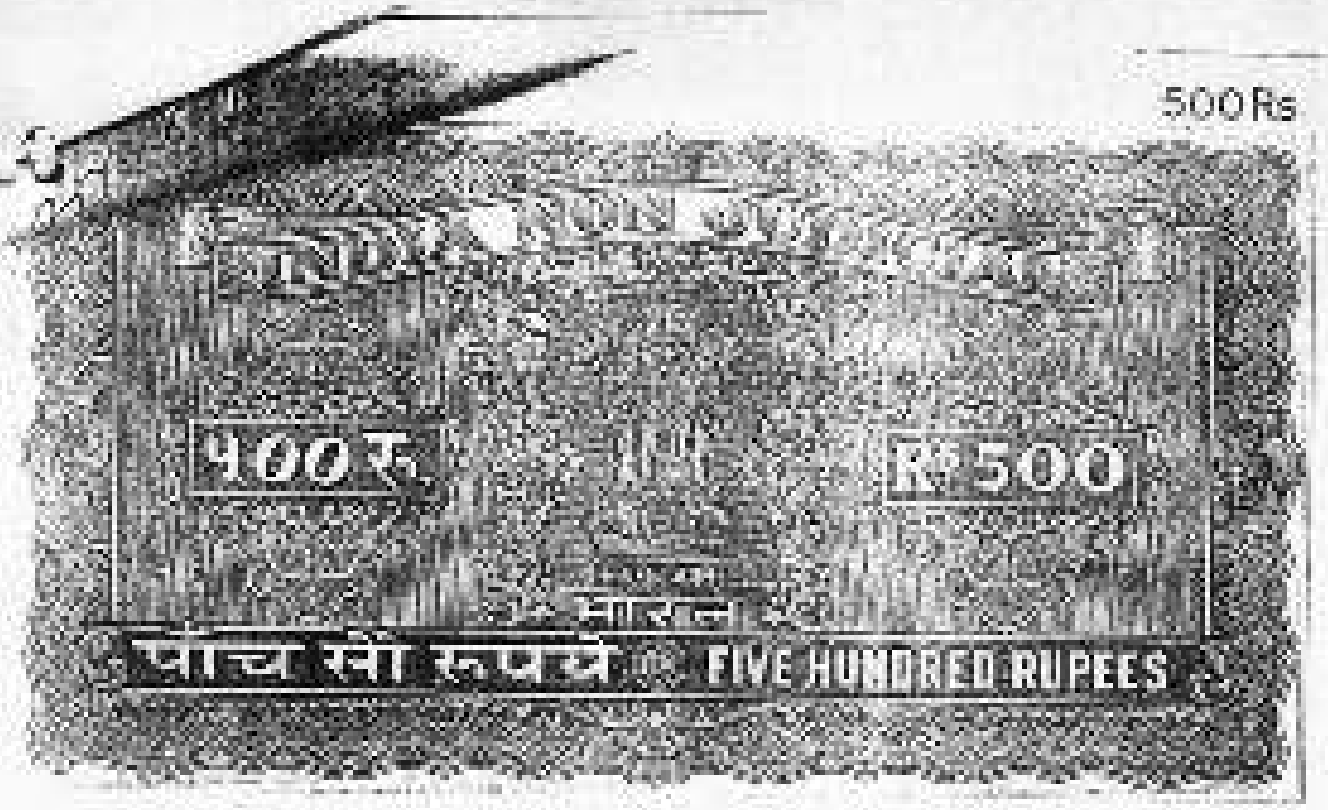

INDIA NON JUDICIAL

१००रु R 500

भारत

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व अदा देने हेतु बाध्य होंगे।

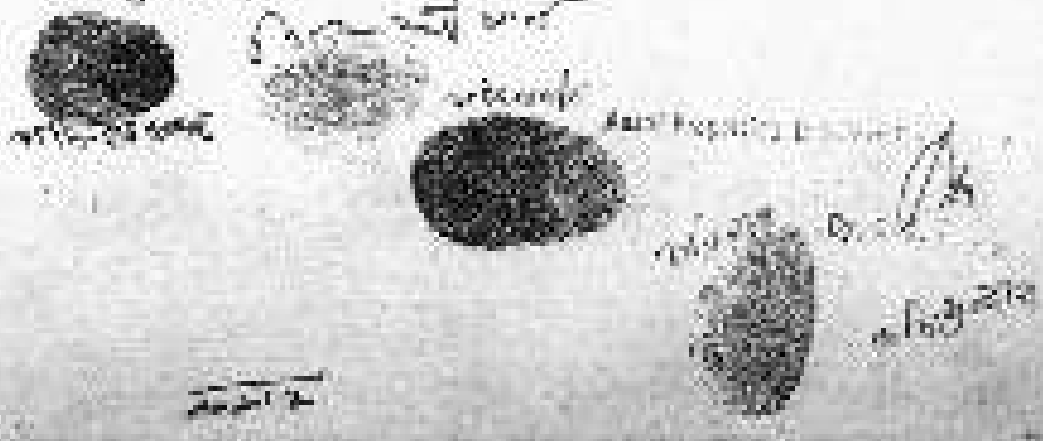

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. R 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

यह कि क्रेता बिक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है किन्तु ग्राम युसुफ नगर एवं [illegible]

१०० रु. R 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

17 AUG 200

अनिगमीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 9,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.553 हेक्टेयर की मालियत रू0 4,97,700/ होती है। चूंकि उक्त भूमि पर एक नलकूप है जिसकी लागत 30,000/- रुपये है और दो नीम, दो जामुन, एक कटहल एक बांसबेंट एक गूलर एक सेमरी का पेड़ है जिसकी कीमत 40,000/-रुपये है। इसलिए उक्त भूमि की मालियत 5,67,700/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही स्टा

१०० रु.　　Rs 100

भारत

एक सौ रुपये　ONE HUNDRED RUPEES

7,03,800/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 की अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का कम्प्यूटर टाइप ईला द्वारा टंकन किया गया है।

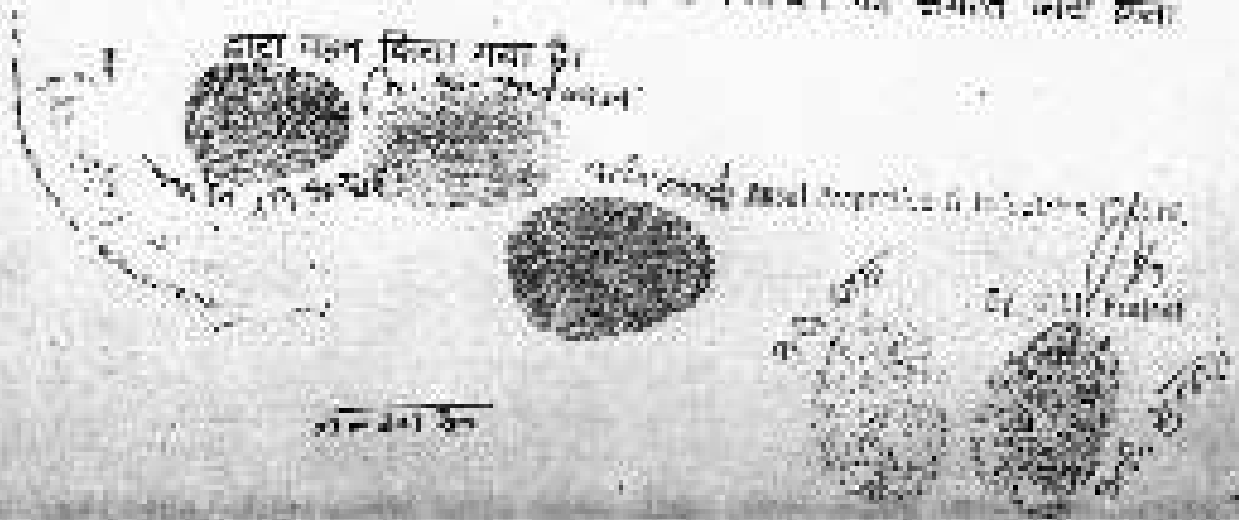

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा न0 89 रकबा 0.553 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बाँगियामऊ, परगना -बिजनौर तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है:

खसरा न0 89 रकबा 0.553 हेक्टेअर

पूरब : खसरा संख्या-90

पश्चिम : ग्राम अहमामऊ सीमा

उत्तर : खसरा संख्या- 91

दक्षिण : खसरा संख्या-10

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. रू0 10,37,874/- (रूपये दस लाख सैंतीस हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र) द्वारा पे आर्डर संख्या 541691, 541692, 541693, 541694, 541695, 541696 दिनांकित 02.09.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ।

मो0 मसूद हुसैन

[illegible]

विक्रेतागण को क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ

दिनांक 03.09.2004

गवाह

विक्रेतागण

क्रेता

मसविदाकर्ता

(बिमल रमन सिंह)

एडवोकेट

टाइपकर्ता

(राम सनेही)

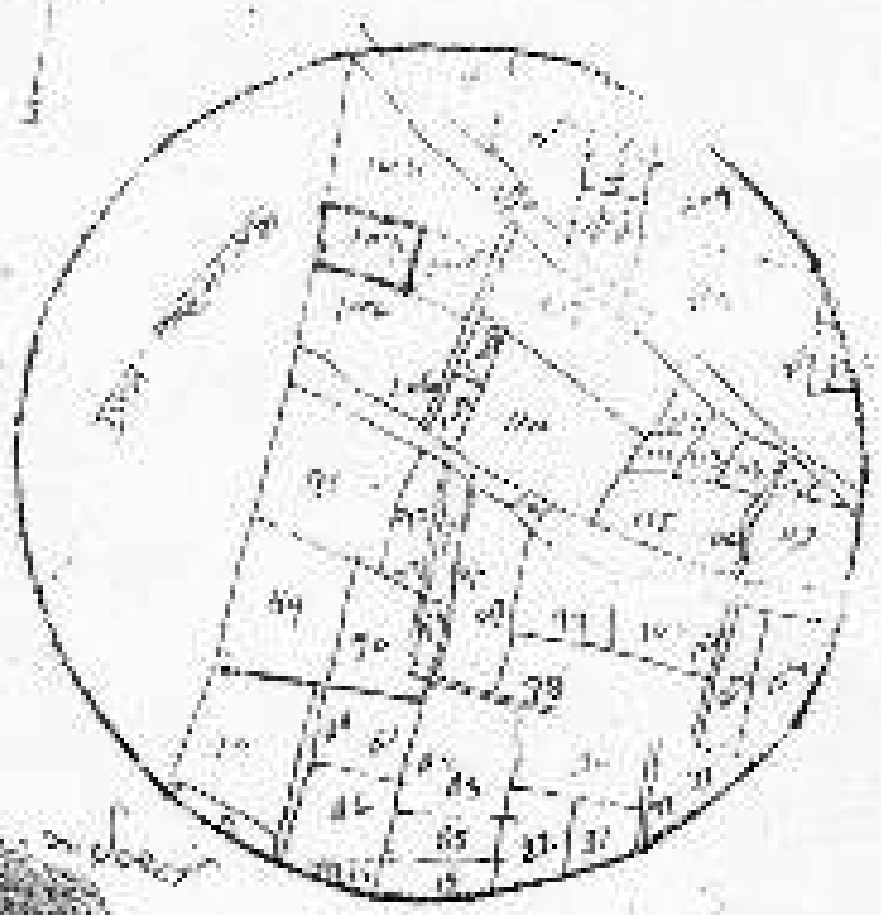

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु,
फिंगर्स प्रिन्ट्स

मुख्तारकर्ता/विक्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

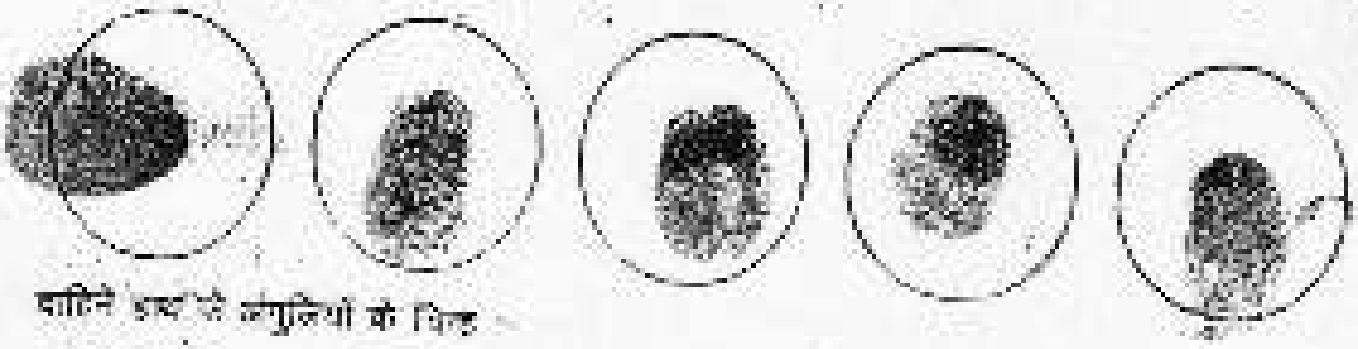

मुख्तारकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

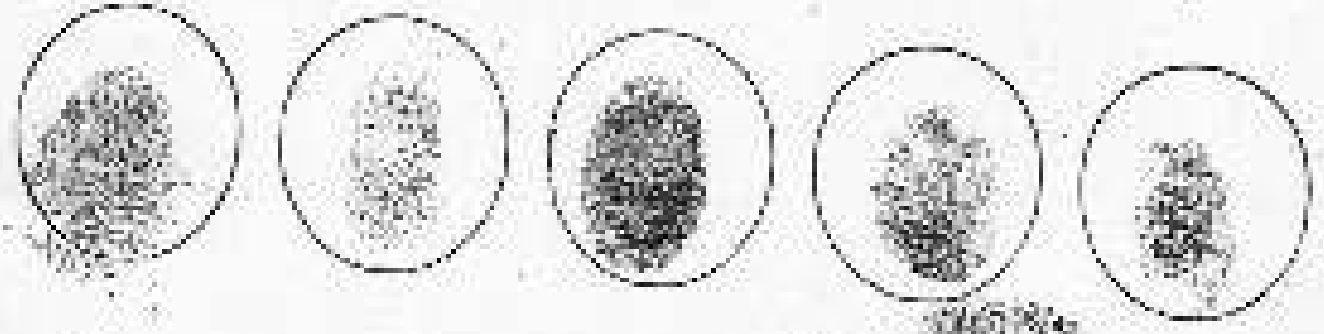

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

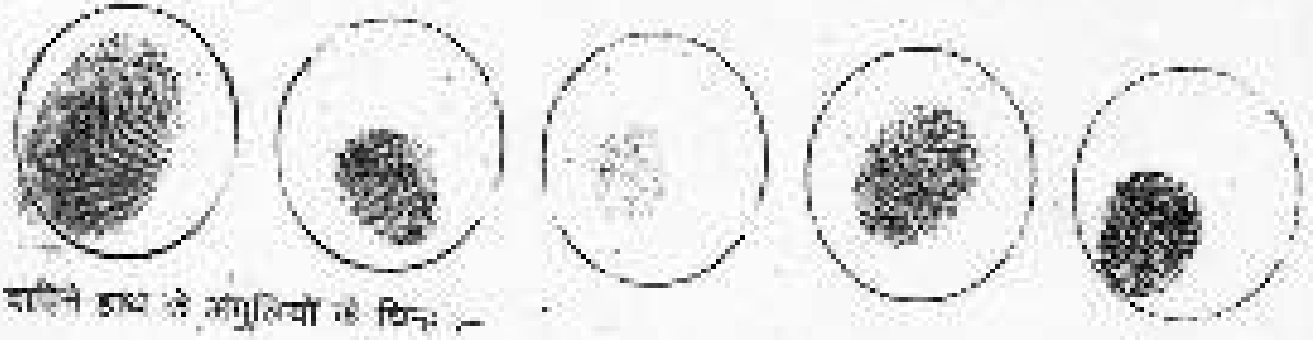

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

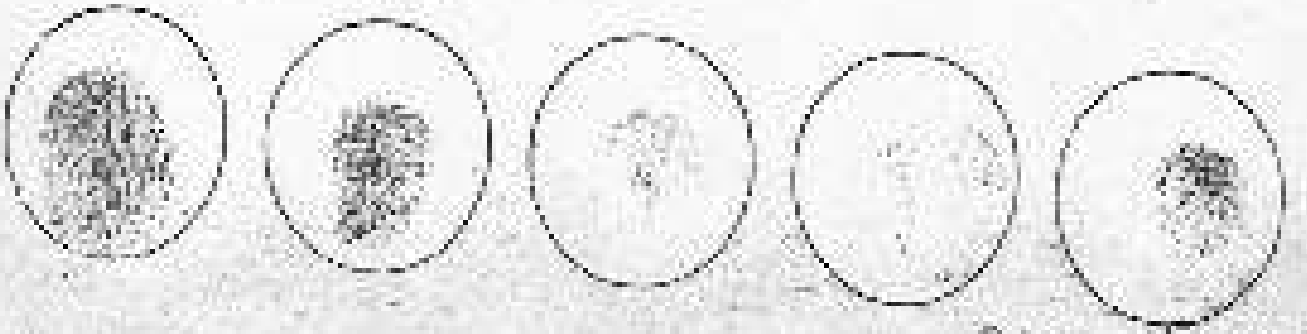

के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिंट्स

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

के हस्ताक्षर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

के हस्ताक्षर

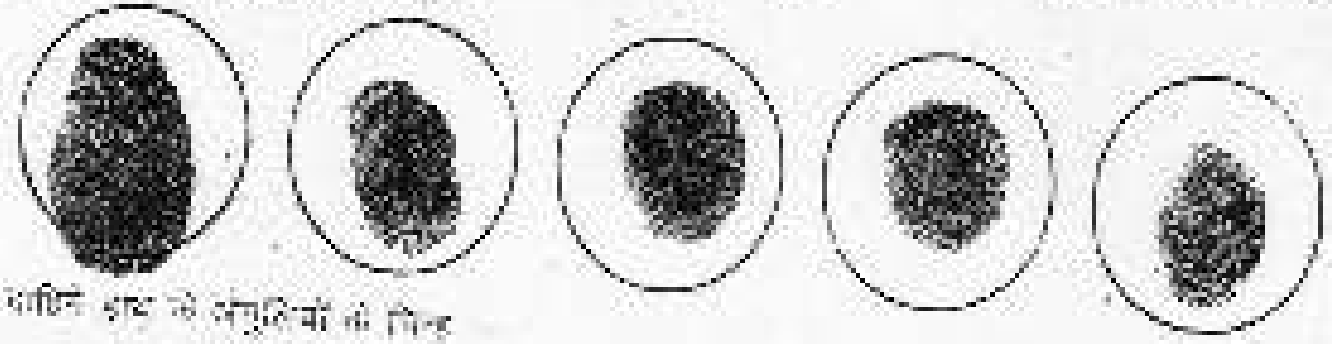

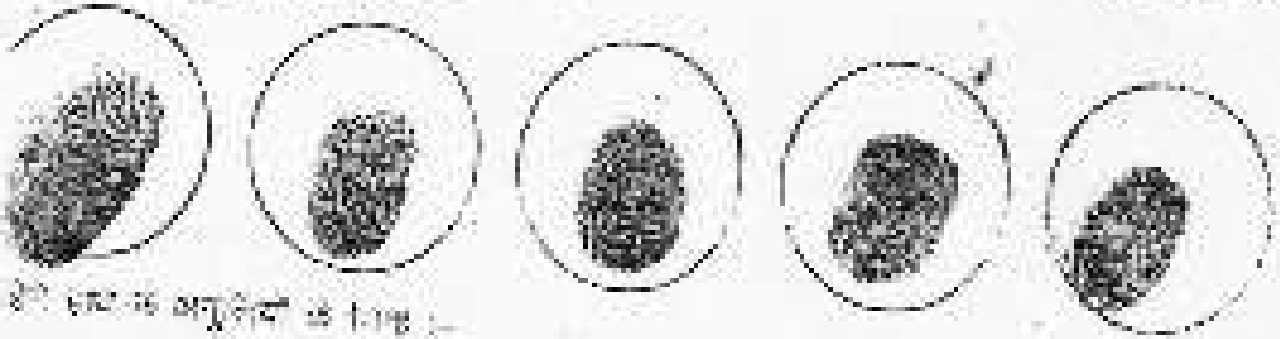

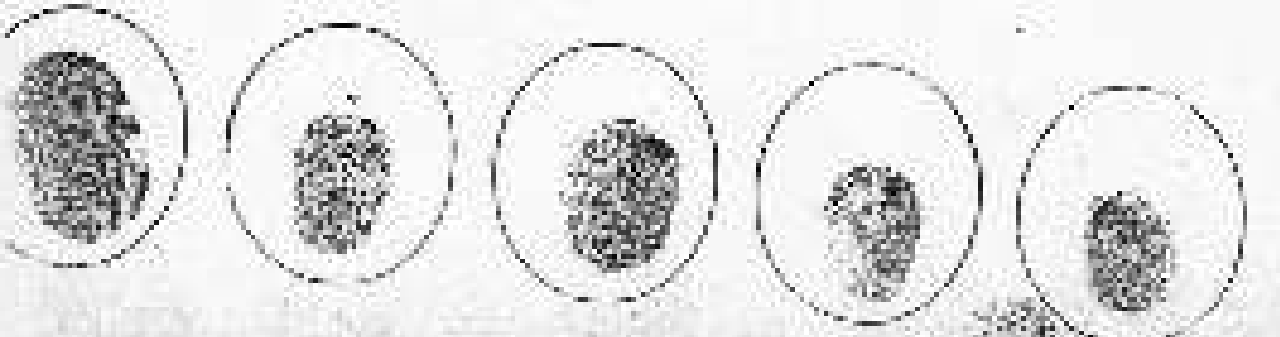

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता/विक्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

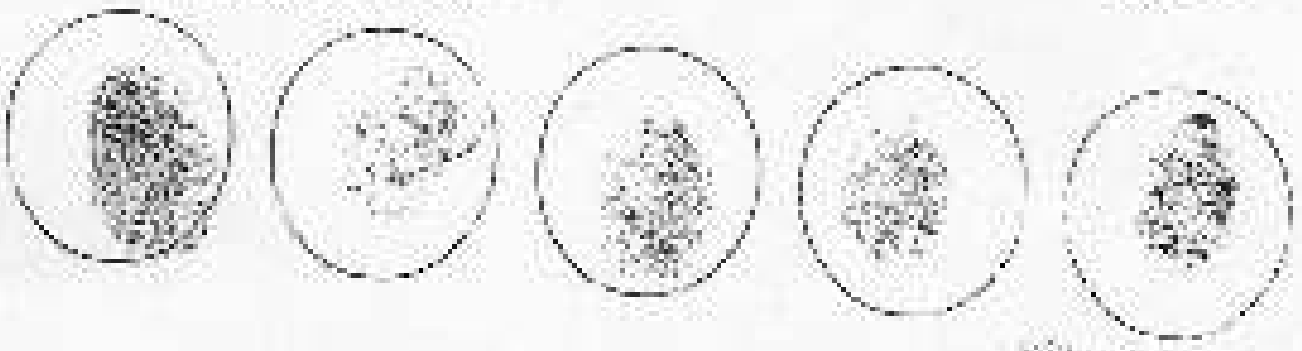

क्रेता/विक्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

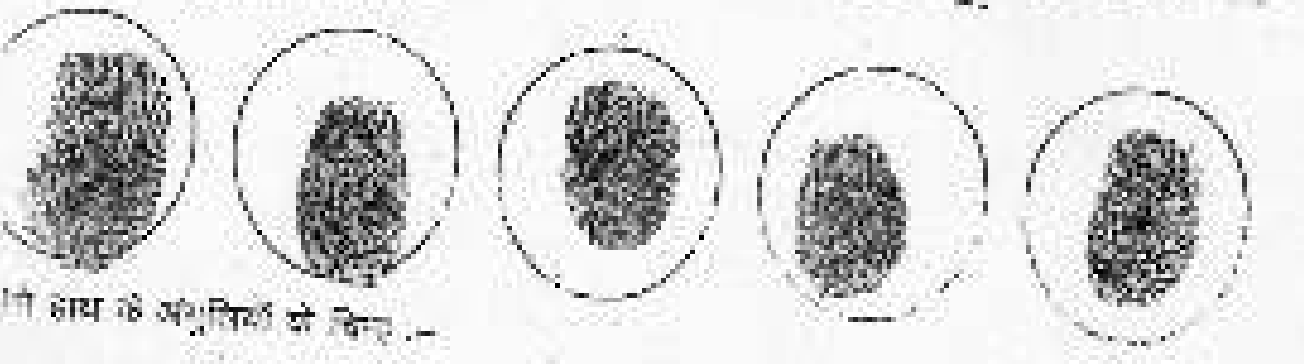

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

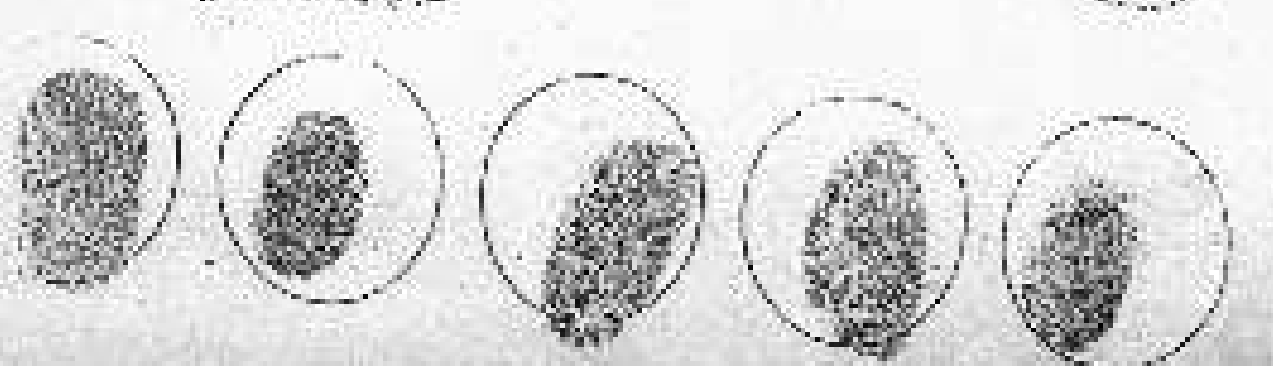

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible] अधिनियम [illegible] की धारा-32 ए के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

क्रेता/विक्रेता नाम व पता [illegible]

बांये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

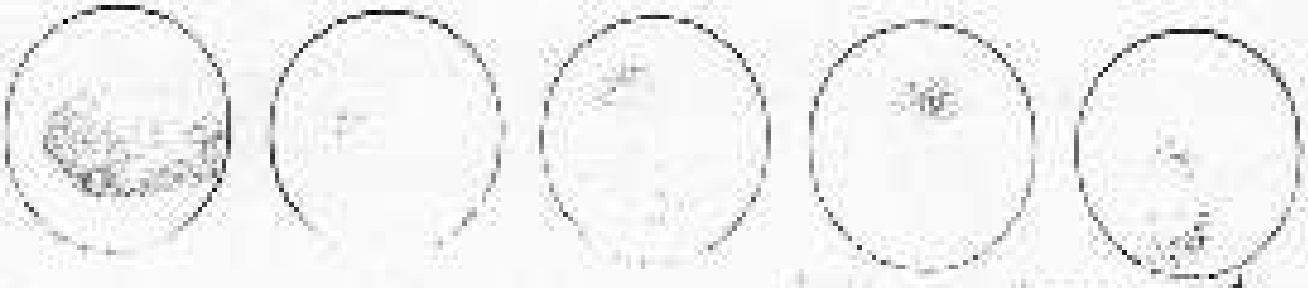

[illegible]

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- ....

बांये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

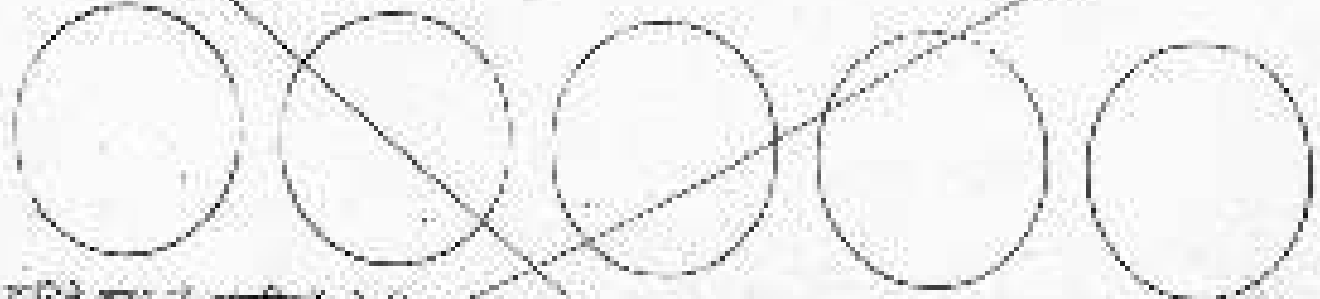

[illegible] के हस्ताक्षर

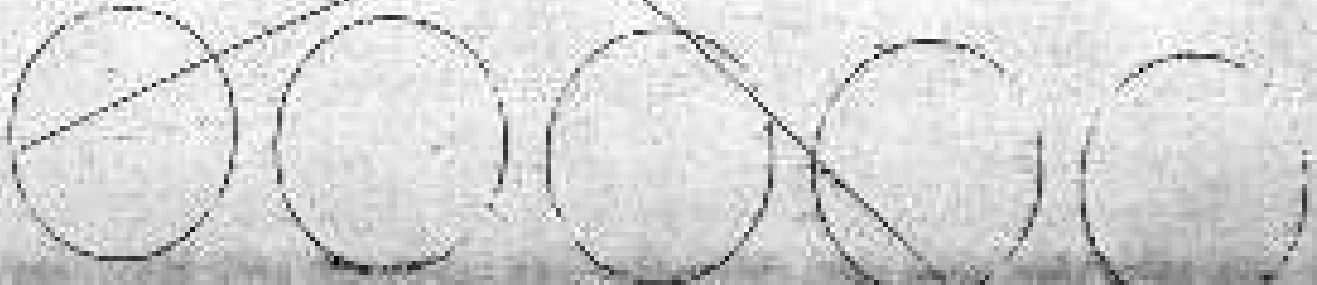

8/9/04

367/802 7589